

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 68/2017 प्रार्थनापत्र

उनवान

1. शाबिर हुसैन पिता कमरुद्दीन मुसलमान निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

— (प्रार्थी)

बनाम

1. गन्नी खां पिता नत्ते खां जाति मुसलमान निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
2. श्री गिरिराज सोनी पिता श्री शिव कुमार सोनी निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी(अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02)

दिनांक-17-08-2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विपक्षीसंख्या 02 की और से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस उभयपक्ष दिनांक 17-08-2021 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी जिस तथाकथित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पेड है, जो कि कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है व वादपत्र में उक्त अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पेड दस्तावेज के आधार पर खातेदार घोषित होने का अनुतोष चाहा है, अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पेड दस्तावेज के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रेवणाधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह की गरज से उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है, वादी को तथाकथिक दस्तावेज की पालना हेतु सिविल न्यायालय विनिर्दष्ट पालना का वादपत्र पेश करना चाहिये, जो नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को चैलेज किया है, रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त/अवैध घोषित करने का अधिकार एकमात्र सिविल न्यायालय को होने से उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत विधि वर्जित होने से सव्यय खारीज होने योग्य है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में

3
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

वर्णित कुलिया तथ्य बनावटी होकर जवाबदाता को स्वीकार नहीं है। जहा तक स्टाम्प अन रजिस्टर्ड एवं अन स्टाम्पेड होकर साक्ष्य में ग्राह है या नहीं कानूनी बिन्दू है जो कोलेटर परपच में पढा जायेगा। एवं अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तत्व नहीं है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। एवं खातेदारी प्राप्त करने के लिए उक्त दस्तावेजात की जरूरत नहीं है। कब्जा होना पर्याप्त है। यह वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही है जो राजस्व न्यायालय में विचारणीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कुलिया तथ्य गलत होने से जवाबदाता को अस्वीकार है जो दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य है व वादी के हक अधिकार के मुकाबले प्रभावहीन है ऐसी घोषणा की जा सकती है। वादी का जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 मय हर्जा खर्जा खारीज फरमाया जावें।


उभयपक्षों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया तथा वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। अधिवक्ता अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत बहस में समायत तर्कों व साक्ष्य के तोर पर सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि तथाकथित दस्तावेज के आधार पर वादपत्र पेश किया है, जो अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पेड है, जो कि कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है व वादपत्र में उक्त अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पेड दस्तावेज के आधार पर खातेदार घोषित होने का अनुतोष चाहा है, अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पेड दस्तावेज के आधार पर उक्त वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रेवणाधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

इसके विपरीत इन तथ्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्कों से कोई ठोस खण्डन के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र पोषणीय होकर चलने योग्य है।

आदेश

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 68/2017 मेंटेनेबल नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करें।

आज दिनांक 17-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाड़ा